न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 207/2022
आरसीएमएस नं0 2022/207
अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट 1955

1. चरणजीत कौर पत्नी श्री महेन्द्र जाति बाल्मिकी निवासी लखूवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. अजय
3. मनीष
4. तमन्ना
5. अंजना
6. निकिता

पिसरान श्री महेन्द्र जाति बाल्मिकी निवासी लखूवाली, तहसील व जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. भजनाराम पुत्र हाकमराम
2. रणजीत पुत्र श्री लालचन्द्र
3. चन्नारानी पत्नी श्री लिछमणराम

जाति बाजीगर निवासी लखूवाली तहसील व जिला हनुमागनढ।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.04.2022

द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ।

प्रकरण संख्या 24/2020 बअनवान भजनाराम बनाम चरणजीत कौर आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री रामकुमार कस्वा अधिवक्ता रेस्पेडेण्ट संख्या 1 से 3

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 4

निर्णय दिनांकः- 9.9.2022

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि चक नं. 3 केडब्ल्यूएम के खाता संख्या 30/57 के पत्थर नंबर 155/387 (24) के किला नं. 12 से 15, 18, 19 कुल 1.518 है0 भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी ने अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही होने का कथन करते हुए अप्रार्थीगण सं0 1 से 6 के कब्जा काश्त की भूमि वाके चक 3 केडब्ल्यूएम. के पत्थर नंबर 155/387 (24) के किलानं. 11 में उत्तरी दिशा में पूर्व से पश्चिम में चल रहे एक एक बिस्वा चौड़ा रास्ता को मन्जूर कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का अनुतोष मांगा। अप्रार्थीगण ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु उसकी कृषि भूमि के पूर्वी दिशा में मुख्य सड़क से आवागमन जारी किया हुआ है तथा प्रार्थी इसी रास्ता से होकर अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करता है तथा प्रार्थी ने सम्बन्धित सह खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2017 (1) पेज 423 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एवं अनुचित है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की भूमि में आवागमन हेतु उसकी भूमि के पूर्वी दिशा में मुख्य सड़क

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रावतसर हनुमानगढ से रास्ता उपलब्ध है व इस रास्ता से वह अपनी भूमि में आवागमन करता है अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की तरफ कोई गौर नहीं किया है। प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते समय संयुक्त खाता में दर्ज समस्त खातेदारों को भी प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। आवश्यक पक्षकारों के संयोजन के बिना अपीलाधीन निर्णय विधिअनुसार पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट संख्या 4 से 6 की तामील नहीं करवाई एवं ना ही उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एवं ना ही रेस्पोडेण्ट संख्या 2 व 3 के जवाब दावा के संबंध में पत्रावली पर कोई आदेशिका जारी की गई है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 ने अपीलण्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए मिली भगत कर अपीलाधीन आदेश जारी करवाया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तसहील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर समस्त तथ्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ता स्वीकृत किया है। अपीलाण्ट ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251–ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसील से प्राप्त रिपोर्ट संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में की गई आपत्ति के संबंध में तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में कोई कथन गिरदावर द्वारा अपनी रिपोर्ट में नहीं किया गया एवं प्रार्थी द्वारा याचित अनुतोष के मुातकि ही तहसील से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रेस्पोउेण्ट का कथन स्वीकार योग्य है कि प. नं. 155/387 (24) के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में उत्तर से दक्षिण मंजूरशुदा रास्ताहै तथा प्रार्थी अपनी भूमि में पतरि नंबर 155 387 (24) के किला नं. 11 के उत्तरी सिरे पर पश्चिम से पूर्व अपनीभूमि में आवागमन जारी रखे हुए है तथा यही रास्ता रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी की भूमि के लिए अधिक निकतम एवं श्रेयस्कर रास्ता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय के द्वारा स्वीकृत रास्ता विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.04.2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे।। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.9.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ (राज.)

(क[illegible]आरएएस)
राजस्व [illegible] प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ